न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 23/2007 (धारा 76 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2007/00001)

1. विमला पुत्री दर्याव पत्नी विजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी हींगोली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर ।
2. राजनदेवी पुत्री दर्याव पत्नी नैमसिंह जोति जाट निवासी मुढेरा तहसील
3. हरदयी पुत्री दर्याव पत्नी रामवीर नगर जिला भरतपुर।
4. बैकुन्ठी पुत्री दर्याव पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी कौरेंर तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. विशनदेयी पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी कवई तहसील नदबई
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र दर्यावसिंह जिला भरतपुर।
3. गुड्डी पुत्री दर्याव पत्नी राजू जाति जाट निवासी कौरेंर तहसील डीग जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 31.10.2006 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 958 दिनांक 24.6.2000 वाकै ग्राम कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री महाराजसिंह वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 27.06.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 31.10.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि खातेदार दर्याव पुत्र अमरचन्द जाति जाट साकिन देह के फौत हो जाने पर उसके हिस्सा अनुसार रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर बहक विशनदेयी पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति जाट साकिन देह दर्ज कर नामान्तरकरण संख्या 958 दिनांक 24.6.2000 नायब तहसीलदार नदबई द्वारा स्वीकार किया गया। इस नामान्तरकरण संख्या 958 के विरूद्ध अपीलान्टस द्वारा अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट एक अपील अतिरिक्त कलक्टर भरतपुर के समक्ष पेश की गई जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2006 पारित किया। जिसमें यह माना कि चूंकि पंजीकृत वसीयत प्रभावी है और पंजीकृत वसीयत के आधार पर ही उक्त नामान्तरकरण दर्ज एवं निर्णित किया गया है जिसमें कोई अनियमितता नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की गई है। इस आदेश दिनांक 31.10.2006 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये

27.6.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सम्मन तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि नायब तहसीलदार नदबई का आदेश दिनांक 24.06.2000 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2006 विधिविरूद्ध तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। नायब तहसीलदार नदबई की ओर से वसीयत दिनांक 28.2.2000 के आधार पर जो उत्तरवादी संख्या 1 के हक में नामान्तरकरण संख्या 958 दिनांक 24.06.2000 स्वीकृत किया गया है वह कतई अवैध एवं गलत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। मृतक दर्याव द्वारा कोई वसीयत उत्तरवादी संख्या 1 के हक में निस्पादित नहीं की थी तथा कथित वसीयत कूटरचित एवं बनावटी है। नायब तहसीलदार नदबई ने कथित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने में प्रकियात्मक भूल की है। वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि भू अभिलेख नियमों के नियम 132 (2) के अनुसार वसीयत की जांच किया जाना कानूनी जरूरी है। वसीयत के प्रमाणिकरण के गवाहों को परीक्षित कराया जाना भी कानूनन आवश्यक है। जो कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत वसीयत की गवाहान के बयान लिया जाना आवश्यक है। नायब तहसीलदार नदबई द्वारा वसीयत के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच आदि भी नहीं की गई। उक्त प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि मृतक दर्याव की मृत्यु निर्वसीयत (इन्टेशन) हुई है उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई इच्छापत्र (वसीयत) नहीं छोडा गया है। अपीलार्थी एवं उत्तरवादी संख्या 2 व 3 मृतक दर्याव प्रथम श्रेणी के वारिसान है। मृतक से उसके द्वारा छोडी समस्त आराजी एवं जायदादों को अपीलार्थी एवं उत्तरवादी संख्या 2 व 3 ने समभाग उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना वारिसान व वसीयत की जांच किये खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है। विवादित आराजी पर कोई कब्जा उत्तरवादी संख्या 1 का मौके पर नहीं है। इसके अतिरिक्त समस्त आराजी पर नामान्तरकरण का निर्णय भी नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कब्जे की जांच किये खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है। विवादित आराजी अपीलार्थी व उत्तरवादी संख्या 2 व 3 की पैतृक आराजी है। मृतक दर्याव ने अपने पिता अमरचन्द से विरासत में प्राप्त की है, पैतृक सम्पत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती है, वरन् स्वअर्जित सम्पत्ति की वसीयत की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने शून्य व अवैध प्रभाव लिये हुये वसीयत के आधार पर खण्डनाधीन देने में भारी त्रुटी की है। वसीयत का कोई गवाह परीक्षित नहीं हुआ है जबकि धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कम से कम एक गवाह की वसीयत की पुष्टि कराया जाना कानूनन आवश्यक है। मृतक दर्याव मृत्यु से पूर्व लगभग 2 माह से गम्भीर रूप से बीमार रहे थे उन्हें कोई होश हवास नहीं रहा था कतई मरणासन स्थिति में रहे थे। इस दौरान अप्रार्थी द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या–1 के द्वारा जालसाजी

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

से उक्त वसीयत निष्पादित करवाई है। तहत अदालत ने कथित कूटरचित वसीयत पर भरोसा कर अपीलाधीन आदेश देने में भारी भूल की है। तहत अदालत का यह मानना कि उनको वसीयत जांच करने का क्षेत्राधिकार नहीं है तथा अपीलार्थी को वसीयत की वैद्यता के लिये सिविल/सक्षम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिऐ कतई गलत है, क्योंकि वसीयत के पंजीकरण होने पर भी उसकी वैद्यता का नामान्तरकरण कार्यवाही में जांच करना अनिवार्य है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटीपूर्ण है इसलिए निरस्त किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इस तथ्य पर गौर नहीं कर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया है जो कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में उचित नहीं है। मियाद के संबंध में वकील अपीलान्ट ने बहस करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकल हेतु दिनांक 14.12.2006 को आवेदन किया जिस पर दिनांक 18.1.2007 को नकल आदेश मिली है। नकल में लगे समय को निकालने पर अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार कर स्वीकार की जावे एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का आदेश दिनांक 31.10.2006 व नायब तहसीलदार नदबई का आदेश दिनांक 24.06.2000 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण रैस्पों0 संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि के खातेदार दर्याब पुत्र अमरचंद द्वारा वसीयत दिनांक 28.02.2000 को पंजीबद्ध करवायी गई। खातेदार श्री दर्याब की मृत्यु दिनांक 11.03.2000 को होने के बाद उक्त पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 08.05.2000 को विरासत का नामान्तकरण खोला गया। इस नामान्तकरण की जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गयी जिसमें उल्लेख किया गया कि मुताबिक रिकार्ड एवं हाल अंकन मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर सही है। इसके बाद नायब तहसीलदार नदबई द्वारा दिनांक 24.06.2000 को नामान्तरकरण संख्या 958 मुताबिक वसीयतनामा के इन्द्राज स्वीकार किये जाने का आदेश दिया गया। अपीलान्ट की ओर से उक्त आदेश की प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर में की गई जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2006 के द्वारा खारिज किये जाने पर अदालत हाजा में उक्त द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में यह तर्क दिया गया कि खातेदार द्वारा किसी प्रकार की कोई वसीयत रैस्पों0 संख्या 1 के पक्ष में नहीं कराई गई। नायब तहसीलदार नदबई की ओर से अवैध व शून्य प्रभाव ली हुई वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोला गया है। उक्त नामा0 खोले जाने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई तथा वसीयत के गवाह को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत परीक्षित नहीं किया गया और न ही भू–अभिलेख नियमों के नियम 131(2) के अनुसार वसीयत की जांच की गई। वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में जो बिन्दु अदालत हाजा में उठाये हैं उन्ही

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

बिन्दु के आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर में अपील पेश की गई थी। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा निर्णय दिनांक 31.10.2006 पारित किया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि नामा0 संख्या 258 खातेदार दर्याब के फौत होने पर उसके हिस्से की आराजी का उसके द्वारा किये गये पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 28.02.2000 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकार किया है। उन्हें इस वसीयत की वैद्यता या इस बिन्दु का कि वसीयतकर्ता को उक्त वसीयत करने का अधिकार था या नहीं ,पर निर्णय करने के लिये उनका न्यायालय सक्षम नहीं होकर सिविल न्यायालय/सक्षम राजस्व न्यायालय में निर्णित कराने योग्य है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में अपने अधिकार तय करावें तथा वसीयत की वैद्यता के बाबत् भी सक्षम न्यायालय में चुनौती देने के लिये स्वतंत्र है। अपीलार्थी को अपील में कोई अनुतोष इसलिये दिया जाना उचित नहीं माना है क्योंकि पंजीकृत वसीयत प्रभावी है और पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर उक्त नामा0 दर्ज व निर्णित किया जावे जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता प्रमाणित करने में अपीलान्ट असफल रहे है। विद्वान अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के उक्त अभिमत से हम सहमत हैं क्योंकि रैस्पों0 की ओर से अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में रैस्पों0 संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 28.03.2000 को हुई पंजीबद्ध वसीयत, खातेदार दर्याब की दिनांक 11.03.2000 को हुई मृत्यु का मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की है। इसके अलावा जगन्नाथ पुत्र रामकरण, निरंजन पुत्र रामप्रसाद, पदमसिंह पुत्र अमरचंद, गरीबा पुत्र अमरचंद, खिल्लू पुत्र शंकर, प्रहलाद पुत्र भगवत आदि के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं जिसमें खातेदार द्वारा रैस्पों0 संख्या 1 के पक्ष में वसीयत किये जाने, नामा0 से पूर्व जांच किये जाने, वसीयत की गयी भूमि खातेदार की स्वअर्जित भूमि होने, मृतक खातेदार दर्याब के कभी गंभीर बीमार नहीं होने के तथ्यों का उल्लेख किया है। इन शपथ पत्रों का अपीलान्ट की ओर से किसी प्रकार के कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। विद्वान अति0 जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2006 में अपीलान्ट व रैस्पों0 की ओर से बहस में वर्णित विभिन्न नजीरों का उल्लेख करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है। जहां तक अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की ओर से बहस में वर्णित यह तथ्य कि नायब तहसीलदार नदबई द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व भू–अभिलेख नियमों के नियम 132(2) के अनुसार वसीयत की जांच नहीं की गई तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत वसीयत के गवाह को परीक्षित नहीं किया गया तो इस संबंध में वकील अपीलान्ट की ओर से इस तरह का कोई प्रावधान नहीं बताया गया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विधिवत पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर नामा0 खोले जाने हेतु वसीयत के गवाहो में से किसी गवाह को परीक्षित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार पटवारी हल्का द्वारा वसीयत के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण की भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत जांच

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

की गई है। इसके बाद नायब तहसीलदार नदबई द्वारा रैस्पों0 संख्या 1 के पक्ष में हुई वसीयत के आधार पर नामा0 खोले जाने के आदेश दिये गये है जो कि भू–अभिलेख नियमों के प्रकिया के अनुसार उचित प्रतीत होता है। वकील अपीलान्ट द्वारा दिया गया यह तर्क कि खातेदार की ओर से रैस्पों0 संख्या 1 के पक्ष में किसी प्रकार की कोई वसीयत पंजीकृत नहीं करायी गयी तथा न ही कोई इच्छापत्र छोडा गया। इसलिए मानने योग्य नहीं है क्योंकि रैस्पों0 की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय में उसके पक्ष में हुई पंजीकृत वसीयत की प्रति पेश की है साथ ही गवाहान के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये हैं जिसमें खातेदार की ओर से रैस्पों0 के पक्ष में वसीयत पंजीबद्ध करवाये जाने की ताहिद की गई है। चूंकि उक्त प्रकरण में रैस्पों0 के पक्ष में पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामा0 खोला गया है तथा नामा0 संबंधी प्रकिया एक फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिनके द्वारा किसी भी पक्ष के हक–हकूक तय नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा भी यही अभिमत है कि नायब तहसीलदार नदबई द्वारा पूर्ण जांच के बाद नामा0 संख्या 958 दिनांक 24.06.2000 को स्वीकृत किया गया है तथा अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील आदेश दिनांक 31.10.2006 के द्वारा खारिज की गई है, न्यायोचित है। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2006 व नायब तहसीलदार नदबई द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण संख्या 958 दिनांक 24.06.2000 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.6.2023

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर